

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र०स० १४/१९ ता०रजु. १९.११.१९ किरम मुकदमा ११ एलआर एक्ट निर्णय दिनांक १५.०१.२०२०

सरकार

बनाम

जगदीश पुत्र दुल्लू

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपुरा मल्लूका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपुरा मल्लूका के खसरा नम्बर ११५ रकवा २०६४ हैक्ट. किरम भूमि पर सम्बत २०७६ में श्री जगदीश स/० दुल्लू पुत्र कपुरा मल्लूका तह० बयाना ने ०.५४ हे० अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण ११ एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जवाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भूअ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भूअ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक १३.०१.२०२० में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भूअ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर ११५ रकवा ०.५४ हैक्ट. वाके ग्राम कपुरा मल्लूका से बेदखल किया जाता है। लगान १.९२ का ५० गुणा पैन्ल्टी राशि ९६५ रूपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली खडी फरसत को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकनील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक १५.०१.२०२० को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक १५/१२/२०
पैन्ल्टी रु ९६५/-
२०१९-२०

तहसीलदार
बयाना